झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वर्ग नवम् सत्र 2024-26 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 40/2024

एतद् द्वारा राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के सत्र 2024–26 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2025 की नवम् वर्ग की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्त्तों के अनुरूप लिया जाएगाः–

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत् है :–

	ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास Online submit करने की तिथि	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र approve करने की तिथि	चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	ऑनलाइन या RTGS/NEFT के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	28.11.2024 से 14.12.2024 तक	28.11.2024 से 14.12.2024 तक	14.12.2024	17.12.2024
विलम्ब शुल्क सहित	15.12.2024 से 21.12.2024 तक	15.12.2024 से 21.12.2024 तक	21.12.2024	23.12.2024

नोट :- दिनांक 14.12.2024 के बाद जेनरेट होनेवाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जेनरेट होंगे। ऊपर निर्धारित तिथि के पश्चात् फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac/ के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दिशा–निर्देश एवं शुल्क विवरणी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुरूप विद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे। पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र विद्यालय द्वारा संधारित List of Student (LoS) प्रपत्र के अनुसार ही भरा जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में इसके लिए विद्यालय प्रधान एवं नोडल पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

- ➤ वैसे विद्यालय, जिन्हें Login ID एवं Password प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार पंजीयन की कार्रवाई कर रहे हैं, Login ID एवं Password के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय में अनुरोध करेंगे।
- ➤ वर्ग नवम् की परीक्षा OMR sheet के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रश्न बहुवैकल्पिकीय (MCQ) प्रकृति के होंगे।
- ➤ दिनांक 01.03.2012 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्रा एवं प्रधानाध्यापकों की होगी।
- ➤ जिन छात्र/छात्राओं के पंजीयन की अवधि अधिकतम तीन वर्ष समाप्त हो चुकी हो, अर्थात् जिनका पंजीयन वर्ष 2021 (सत्र 2020–22) या उससे पूर्व हो, उन्हें नये रूप से पुनः पंजीयन (Fresh registration) कराना अनिवार्य होगा तथा कक्षा 09 की परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। कक्षा 09 की परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही ऐसे छात्र/छात्रा माध्यमिक परीक्षा, 2026 के लिए पात्र होंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक– JAC/गो./3262/24/SECY/1258/24
दिनांक– 26.11.2024, D.O.P: 27.11.2024